Date of Submission: 31/7/2026
Date of Review: 5/8/2026
Date of Publication: August 2026

मारवाड़ शासक वर्ग में नशीले पदार्थ के सेवन की परम्परा तख्त सिंह के सन्दर्भ में (वि.सं. 1900-1929 ई.)

डॉ. ममता रानी

परिचय

मारवाड़ के सामाजिक और राजकीय जीवन में मनुहार की परम्परा केवल आतिथ्य-सत्कार तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक संबंधों, उत्सवों और राजदरबार की संस्कृति का भी हिस्सा रही है। विवाह, सगाई, मरण, मेल-मिलाप तथा प्रमुख त्योहारों के अवसर पर अफीम और मदिरा की मनुहार किए जाने के उल्लेख ख्यातों, बहियों तथा अन्य समकालीन स्रोतों में मिलते हैं। अफीम को अमल, कसूंबो, कहुंबो, कालियो आदि नामों से जाना जाता था और इसकी मनुहार को सम्मान तथा सामाजिक निकटता की अभिव्यक्ति माना जाता था। महाराजा तख्तसिंह के शासनकाल (वि.सं. 1900-1929) के संदर्भ विवरण इस परम्परा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट करते हैं। आखातीज, होली, गणेश चौथ तथा अन्य अवसरों पर राजदरबार में अमल और मदिरा की मनुहार, इनके लिए पृथक व्यवस्था तथा संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति इस बात की ओर संकेत करती है कि नशीले पदार्थ तत्कालीन राजकीय और सामाजिक व्यवहार में संस्थागत रूप से उपस्थित थे। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य इसी परम्परा के स्वरूप, सामाजिक अर्थ, राजकीय संरक्षण और उसके व्यापक प्रभाव को समझना है।

मारवाड़ के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में प्रारम्भिक काल से ही मनुहार करने की परम्परा रही है। सभी शासकों के समय में त्योहारों, सगाई मरण, मिलन पर मनुहार दी जाती थी। मारवाड़ में वि.सं. 1900-1929 तक महाराजा तख्तसिंह का शासन रहा। उनके शासन काल में त्योहारों, मृत्यु या किसी विशेष अवसर पर मनुहार करवाने का वर्णन मारवाड़ राज्य से सम्बद्ध ख्यातों, बहियों तथा अपुरालेखीय दस्तावेज़ों से मिलता है।

महाराजा तख्तसिंह, महाराजा अजीतसिंह के वंशज करणसिंह जी के पुत्र और ईडर राज्य के स्वामी थे। इनका जन्म वि.सं. 1876 जयेष्ठ सुदी 13 (ई.स. 1819 की 6 जून)

को हुआ) वि.सं. 1900 की मार्गशीर्ष सुदी 10 (ई.स. 1843 की 1 दिसंबर) को जोधपुर में इनका राज्याभिषेक हुआ।[1] वि.सं. 1929 की माघ सुदी 12 व 13 (ई.स. 1873 की 9 व 10 फरवरी) को महाराजा का स्वास्थ्य खराब हो गया और ज्यादा खराब होने की वजह से राजयक्ष्मा की बीमारी से वि.सं. 1929 माघ सुदी 15 (ई.स. 1873 12 फरवरी) को स्वर्गवास हो गया।

महाराजा तख्तसिंह के समय मनुहार की परम्परा

मदिरापान व अफीम का प्रचलन मारवाड़ में व्यापक रूप से था। शासकीय महफिलों में शराब का प्रयोग पेय के रूप में होता था। शराब पीने के पात्रों को 'दारू पीवण री बाटकिया' कहा जाता था।[2]

सवंत 1903 वैसाख वदी अमावस्या को आखातीज का दरबार लगा। आखातीज में अफीम की मनुहार की गई, इसका वर्णन 'महाराजा तख्तसिंह री ख्यात' में मिलता है, जो इस प्रकार से है–

वैसाख वद (अमावस) आखातीज रो अमल भोजनसाल में गव्ठीजीयों। सो उमरावा रा कांमेती मुतसदीया री मनवार हुई। नै खार भंजना रो मेवे रा थाल गुड वगैरे रसोड़े सु आवे से दिरीजे, सो दिन पतांई लागोलग औ उछव रहे।

अर्थात् अफीम की कड़वाहट मिटाने के लिए रसोई से गुड़, मावे लाकर मीण किया गया और 4 दिन तक ऐसे ही दरबार चला।[3]

वि.सं. 1910 की आसाढ़ वदी 11 को जामनगर के शासक जाडेचा जालमसिंह जी जोधपुर यात्रा के दौरान कायलाना झील की ओर आये। जालमसिंह जी को मनुहार स्वरूप 'आसो' नामक शराब पिलाई गई।[4]

वि.सं. 1913 चैत्र वदी 7 को होली की फाग हुई। होली से पहले ही दौलतखाना चौक में डांडिया की गैर होती थी जिसमें *मुत्सद्दी, पासवान* तथा *खवास* आदि भी खेलते थे और महाराजा तख्तसिंह फतेह महल की खिड़की से सब देखते थे।

वि.सं. 1913 में महाराजा तख्तसिंह जी होली खेलने के लिए पहले बालसंमद झील पर स्थित गायण (गायिका) मगराय की बावड़ी पधारे और वहां प्रोल के ऊपर वाले कमरे में बेठे उनके साथ में सभी महाराज कुमार तथा मुत्सद्दी आदि उपस्थित रहे। गायण मगराय की तरफ से रंग का पानी कड़ावों में भरा गया और सब रंग से फाग खेले। नोहरे की तरफसे मदिरा का इतंजाम था सो सभी उमरावों एवं उपस्थित लोगों ने उसका सेवन किया।[5]

इसी प्रकार का एक उदाहरण वि.सं. 1906 भाद्रपद सुदी 11 के दिन का मिलता

है। इसके अनुसार महाराजा जब अजमेर से वापिस लौटे तब गुलाबसागर मे मेलें जैसा माहौल बना, तब वहां पर सभी को 'आसो' नामक शराब पिलाई गई जो मारवाड़ में ही बनती थी।[6]

महाराजा तख्तसिंह के समय राजघराने में आखातीज पर 'अमल दस्तुर' के लिए चाँदी की तासली में तरल अफीम रखा जाती थी, परन्तु आजकल केसर के पानी की मनुहार अमल के स्थान पर की जाती है। महाराजा स्वयं अपने दाहिने हाथ की हथेली में अफीम या केसर की मनुहार महाराजाओं, सरदारों, राव राजाओं, सिरायतों, जागीरदारों एवं मुत्सद्दियों को पिलाते है।[7]

महाराजा के छोटे से बड़ें सभी अफसर, अहलकार, कर्मचारी इस दिन महाराजा के हाथ से अफीम लेते थें। सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाता था। यह व्यवहार महाराजा को जन-जन से जोड़ने वाला होता था।

दीवाली के भोजन में मुख्य रूप से लापसी, तरकारिया, पुड़िया, इत्यादि होते थे, भोजन के साथ मदिरा की मनुहार कभी-कभी होती थी।[8] होली के त्योहार हेतु गुलाल व अबीर रंग तथा मनुहार हेतु अमल तथा तमाखु (तम्बाकू) की खरीद होती थी। इसका संदर्भ नीचे उद्धृत है-

तीवार खरच होली रा उछब तालकै
11)11 आठ आना दो पैसा गुलाल एक
सेर अबीर एक सेर तिण रो
2) नोरा तालके मनवार सारू
1) अमल 1) तमाखु।[9]

महाराजा तख्तसिंह के समय वैशाख वदी 9 संवत 1911 को आखातीज का दरबार लगाया गया था जिसमें अमल की मनुहार करवाई गई।[10]

भाद्रपद सुदी 4, 1913 में गणेश चौथ के मेले का आयोजन हुआ था। तब महाराजा तख्तसिंह महामंदिर गये हुए थे तब खबर आई कि डूंगरजी अमलदारी में साहुकार लोग है जिनके मकानों का किराया, उमावन की पैदाइस माल के नफे की पैदाइस और अफीम के सदा की पैदाइस में से 4) चार रुपए सैकड़ा सरकार लेगी।[11]

वि.सं. 1914 में सीकर के गांव बढोठ का शेखावत डूंगरसिंह को चोरी-धाड़ा करने के जुर्म में आगरा में बन्दी बनाने के पश्चात् जोधपुर गढ़ स्थित सलेम कोट में बंदी बनाकर रखा गया। उसे जयपोल से इमरती पोल मार्ग से लाया गया और श्री हजुर के आदेश

से उसके पावों में लगी बेड़िया कटवाकर सलेम कोट मे कैदकर रखा गया। उसको महाराजा के हुकम से सोने की ढोलिया, खवासी में नाई और रसोईघर से दो वक्त का भोजन वही शराब की व्यवस्था भी की गई थी।[12]

अफीम के व्यापारिक केन्द्र

18वीं शताब्दी में पाली, मारवाड़ का ही नहीं वरन् समस्त राजपूताना का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। कच्छ से आने वाले व्यापारी अपने साथ पाली से, तथा दूसरे स्थानों पर आई हुई कोटा की अफीम साथ ले जाते थे। जोधपुर मे आयातीत सामान में अफीम मुख्य होता था।[13]

पाली का व्यापारी अफीम से लदे ऊंट को दामन सुरक्षित पहुँचाने के लिए *बोलाई* के 300 रूपये दिया करता था।

ओहदेदार

नशीले पदार्थों को रखने व उनके अधिकारियों के नाम भी बहियों में मिलते है। इसी तरह से अफीम, गांजा, चरस आदि वस्तुओं पर राज्य का सायर विभाग कर लगाता था। ये समस्त कर सायर का दरोगा के निर्देश पर नीचे के ओहदेदार वसूल करते थें।[14]

अंबार का कोठार (अंबार खाना)

इसमें विभिन्न खाद्य सामग्री का संग्रह किया जाता था।

तंबोल खाना

इसमें नागरबेल के पान, लोंग, सुपारी, इलाइची, कत्था, तथा जायफल आदि का वर्णन मिलता है।

अबदार खाना (अबदारी)

अबदारखाना अर्थात् शराब खाना के संचालन हेतु अधिकारी नियुक्त किया जाता था, वह अबदारी कहलाता था। राज्य में भोज के आयोजन होते थे तो शराब की आवश्यकता बड़ी मात्रा में होती थी। विभिन्न किस्म की शराब भट्टियों से निकाले जाने का कार्य इसी विभाग के निर्देशन में होता था। शराब अनेक प्रकार से तैयार की जाती थी। जैसे अनार की शराब, दाल चीनी की शराब, तथा गन्ने की शराब आदि का बहुतायत में प्रचलन था।[15]

महाराजा तख्तसिंह के समय वि.सं. 1925 में पंवार लालकरण को यह कार्य सौंपने का उल्लेख बही में मिलता हैं। तत्कालीन ख्यात साहित्य से ज्ञात होता है कि नाजर हरखा को पदच्यूत कर पंवार लालकरण की नियुक्ति की गई थी।[16]

महाराजा तख्तसिंह के समय अबदारी के रूप में शंकर का नाम भी मिलता है।[17]

इस प्रकार ख्यातों व बहियों में इस प्रकार के नशे को परम्परागत मनुहार के रूप में विभिन्न स्थानों पर उल्लेखित किया गया है, क्योंकि हर त्योहारों व विशेष कार्यक्रमों में मनुहार करवाना व ओहदेदारों का सम्मान करना व अफीम की खेती की पैदावार से कुछ हिस्सा सरकार को देना, आदि यह दर्शाता है कि यह परम्परा उस कालखण्ड में विशेष रूप से प्रचलन में थी।

इस प्रकार ख्यातों, बहियों में वर्णित है कि त्योहारों व विशेष अवसरों पर मनुहार के रूप में नशे का सेवन किया जाता था। यही मनुहार राज दरबार से होते हुए जन सामान्य में एक प्रथा बन गई। उच्च वर्ग से शुरू हुई यह परम्परा आज बड़े स्तर पर कुप्रथा बन गई है।

कई डिंगल कोष में अफीम से संबधित कई गीतों का संकलन भी मिलता है। अफीम के अनेक नाम भी मिलते है, डिंगल कोष में जैसे *नाग-झाग, कसनाग रा, काली अमल (कुहात), नागफेण, पोस्त, केफ, दाणावत* इत्यादि नाम देखने को मिलते है।

किसी भी विशेष अवसर, कार्य, बैठक, भेंट या जाति पंचायतों में अमल पीने का विशेष रिवाज़ था। मजदूर व राजपूत वर्गों में शराब व अफीम का शौक अधिक था। अक्षय तृतीया पर गांवों में अफीम की मनुहार सभी स्थानों पर खासतौर से हुआ करती थी। राजा-महाराजाओं तथा रानियों के दरबारों में होली, दीपावली तथा अन्य अवसरों पर पान के बीड़ें वितरित किये जाते थें और इनके द्वारा आगंतुकों को सम्मानित किया जाता था। इस प्रकार बहियों व ख्यातों के अध्ययन से पता चलता है कि उस विशेष कालखण्ड में मनुहारस्वरूप दी जाने वाली अफीम व शराब वर्तमान में जन सामान्य के मध्य कुप्रथा बन गई हैं।

निष्कर्ष

ख्यातों और बहियों में उपलब्ध विवरणों से स्पष्ट होता है कि महाराजा तख्तसिंह के समय अफीम और मदिरा की मनुहार मारवाड़ के राजकीय एवं सामाजिक जीवन का स्वीकृत हिस्सा थी। त्योहारों, मेलों, दरबारी आयोजनों, भेंट-मुलाकातों और विशेष अवसरों पर अमल अथवा मदिरा का सेवन केवल व्यक्तिगत आदत नहीं, बल्कि मनुहार और सम्मान की स्थापित परम्परा के रूप में दिखाई देता है। राजघराने से लेकर उमरावों, मुत्सद्दियों और सामान्य लोगों तक इसके प्रसार से इसकी सामाजिक स्वीकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। अफीम की पैदावार पर राज्य का आर्थिक अधिकार, अबदारी व्यवस्था तथा मनुहार के लिए आवश्यक वस्तुओं की राजकीय व्यवस्था इस परम्परा के प्रशासनिक पक्ष को भी सामने लाती है। आरम्भ में सामाजिक मेल-जोल और आतिथ्य से जुड़ी यह परम्परा समय के साथ व्यापक जनजीवन में नशे की आदत को स्वीकार्य बनाने का माध्यम बनी। अत: मनुहार की

परम्परा का अध्ययन केवल राजकीय शिष्टाचार के इतिहास तक सीमित न रखकर उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों के संदर्भ में किया जाना अधिक सार्थक होगा।

सन्दर्भ

1. *महाराजा तख्तसिंह री ख्यात,* फाईल नं. 28, बस्ता नं. 92, अपुरालेखीय रिकॉर्ड, जोधपुर, पृ. 2
2. *तख्तसिंह जी की रानी राणावतजी की बही,* नं. 613, पृ. 109, म.मा.पु.प्र, जोधपुर
3. *महाराजा तख्तसिंह री ख्यात,* (संपा.) नारायण सिंह भाटी, राज. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, 1993, पृ. 141
4. *महाराजा तख्तसिंह री ख्यात,* पृ. 190
5. वही, पृ. 227
6. वही, पृ. 107
7. वही, पृ. 141
8. वही, पृ. 141
9. *दादीजी श्री भटियाणीजी री बही,* नं. 147, म.मा.पु.प्र., जोधपुर
10. *फुटकर बही,* नं. 15, वि.सं. 1911/1854 ई., इमेज नं. 16
11. फाइल नं. 28, बस्ता नं. 92, इमेज नं. 74, अपुरालेखीय रिकॉर्ड्स, जोधपुर
12. *महाराजा तख्तसिंह री ख्यात,* पृ. 255
13. बी.एल. गुप्ता, *ट्रेड एण्ड कॉमर्स इन राजस्थान,* जयपुर, 1987, पृ. 115–116
14. मुंशी हरदयालसिंह, *मजमु–ए–हालात राजमारवाड़,* जोधपुर, 1883–84, पृ. 519
15. *महाराजा तख्तसिंह री ख्यात,* पृ. 466
16. *ओहदा बही,* नं. 4, वि.सं. 1912/1855 ई., इमेज नं. 3, जोधपुर रिकॉर्ड्स, रा.रा.अ.बी.
17. *महाराजा तख्तसिंह री ख्यात,* पृ. 39

सहायक आचार्य

वीर दुर्गादास कॉलेज

समदड़ी, बालोतरा (राज.)